भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*343
बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

'नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट' के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाना

*343. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में 'नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट' के अंतर्गत स्थापित किए गए 'आदर्श कैरियर केन्द्रों की, राज्य-वार, संख्या कितनी-कितनी हैं;

(ख) 'नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट' के माध्यम से विगत तीन वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की, राज्य-वार, संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या 'नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट' के अंतर्गत कौशल-प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

'नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट' के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाना के बारे में श्री देरेक ओब्राईन द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *343 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 24.07.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) एवं (ख): सरकार विविध प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाओं, जैसे आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर सूचना आदि उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) एक ऐसा मंच है जो रोजगार चाहने वालों तथा नियोक्ताओं को ऑन-लाइन रोजगार संबंधी समाधान हेतु डिजिटाइज करने हेतु जोड़ता है। एनसीएस पोर्टल में लगभग 1.02 करोड़ सक्रिय रोजगार चाहने वाले और 6688 सक्रिय नियोक्ता हैं तथा 22 जुलाई, 2019 तक 49.93 लाख रिक्तियां जुटाई गई हैं।

एनसीएस परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संस्थाओं के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने की परिकल्पना भी की गई है। ये केंद्र प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ-साथ परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से स्थानीय युवाओं एवं अन्य रोजगार चाहने वालों को सभी संभव रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं। आदर्श करियर केंद्र राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। केंद्रीय सरकार प्रस्ताव एवं योजनाओं के दिशा-निर्देशों के आधार पर इन केंद्रों को 50 लाख रुपए प्रति केंद्र तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक सरकार ने 139 आदर्श करियर केंद्रों को अनुमोदन प्रदान किया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ग): सरकार में रिक्तियां संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा संगत पदों हेतु भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति आदि के माध्यम से भरी जाती हैं।

*****

अनुबंध-I

नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाना के बारे में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *343 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 24.07.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	आदर्श करियर केंद्रों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	6
5.	बिहार	3
6.	छत्तीसगढ़	4
7.	दिल्ली	2
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	8
10.	हरियाणा	2
11.	हिमाचल प्रदेश	2
12.	जम्मू और कश्मीर	3
13.	झारखंड	1
14.	कर्नाटक	5
15.	केरल	3
16.	लक्षद्वीप	1
17.	महाराष्ट्र	6
18.	मेघालय	2
19.	मध्य प्रदेश	10
20.	मणिपुर	1
21.	नागालैंड	1
22.	ओडिशा	8
23.	पुडुचेरी	1
24.	पंजाब	3
25.	राजस्थान	11
26.	सिक्किम	3
27.	तमिलनाडु	9
28.	तेलंगाना	6
29.	त्रिपुरा	3
30.	उत्तर प्रदेश	12
31.	उत्तराखंड	3
32.	पश्चिम बंगाल	10
	योग	139